न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री हनुमान राम पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी मेहगांव

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 83 / 17

निर्णय दिनांक 26.09.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मेहगांव के खसरा नम्बर 507 किस्म गै.मु.गोवा में रकबा 0.06 है. भूमि में बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। नोटिस अप्रार्थी स्वंय से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी दिनांक 15.09.2017 को उपस्थित रहा लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा मेहगांव के खसरा नम्बर 507 किस्म गै.मु. नाला में रकबा 0.06 है. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्व होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.06 है. भूमि के 0.50 रूपये लगान का 50 गुणा 25/– अक्षरे पच्चीस रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

तहसीलदार परबतसर